न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 04/2022

श्री पंकज कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पदम चन्द जैन निवासी 4/4 एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर पिन 302020 राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 6.4.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06–01–2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1 यह की ग्राम कुण्डेर पटवार हल्का कुण्डेर भूअभिलेख निरीक्षक खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक राज. स्थित निजी खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 180 पुराना 176 खसरा नम्बर 1118, 2291, 560, 700, 713 कुल किता 5 कुल रकबा 6.67 है0 तथा खाता संख्या नया 179 पुराना 175 खसरा संख्या 739 से 744, 747, 770, 771, 772 एवं 777 कुल किता 11 कुल रकबा 3.52 है0 एवं खाता संख्या नया 178 पुराना 174 खसरा सुंख्या 2274 कुल किता 1 कुल रकबा 0.66 है0 कृषि भूमि से संबंधित नामान्तरण दर्ज किये जाने बाबत सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यप्रति मय आदेशिका (कार्यालय रिपोर्ट) सहित।

2 यह कि उपरोक्त भूमि के नामान्तरकरण के संबंध में दर्ज करायी गयी आपत्ति की सत्यप्रति।

3 यह कि उक्त भूमि के बाबत नामान्तरकरण संख्या 1169 दिनांक 11.11.2021 विरासत के संबंध में दर्ज किये गये नामान्तरकरण संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्यप्रति मय आदेशिका।

4 यह कि नामान्तरकरण संख्या 712 दिनांक 11.01.2013 विरासत से बाबूलाल पिता श्रवण लाल, नामान्तरकरण संख्या 716 दिनांक 20.02.2013 एवं नोट सं. 1 नि. दिनांक 12.07.2013 तथा नामान्तरकरण संख्या 712 संशोधन से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यप्रति मय आदेशिका।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक को पत्र किमांक 302 दिनांक 23–02–2022 को प्रेषित कर [illegible] अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित [illegible] हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक द्वारा क्रमांकः भू.अ./1196 दिनांक 09–03–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

सूचना नायब तहसीलदार बनेठा से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः भू.अ./830 दिनांक 14–2–2022 जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गई है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:39 IST
Reason: SelfAttested